छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 05 मार्च, 2010 दिन शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये: –

1.	प्रो0 हर्ष कुमार सहगल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री पी0सी0 शर्मा	सदस्य
3.	श्री जगेन्द्र स्वरूप	सदस्य
4.	डॉ0 आर0पी0 श्रीवास्तव	सदस्य
5.	डॉ0 के0के0 बहल	सदस्य
6.	डॉ0 नन्दलाल	सदस्य
7	प्रो0 आर0सी0 कटियार	सदस्य
8.	डॉ0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल	सदस्य
9.	डॉ0 शिशुपाल सिंह भदौरिया	सदस्य
10.	डॉ0 हेमलता सिंह	सदस्या
11.	डॉ0 जितेन्द्र कुमार सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 बी0के0 शुक्ला	सदस्य
13.	डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव	सदस्य
14.	श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, वित्त अधिकारी	सदस्य
15.	श्री महेश चन्द्र, कुलसचिव	सचिव

–:–:–:–:–:–:–:–:–:–:–

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यपरिषद के समस्त उपस्थित सदस्यों के स्वागतोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में मदवार निम्नांकित निर्णय लिये गये।

मद सं0–1: कार्यपरिषद की विगत बैठक दिनांक: 02.01.10 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

परिषद द्वारा कार्यपरिषद की विगत बैठक दिनांक 02.01.2010 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मत से यथावत सम्पुष्ट किया गया।

मद सं0–2: वित्त समिति की बैठक दिनांक: 11.02.2010 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.02.10 के कार्यवृत्त के अनुमोदन के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्य श्री पी0सी0 शर्मा द्वारा वित्त अधिकारी से विश्वविद्यालय के बजट के मुख्य बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी, जिसको वित्त अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया। परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद आडिट प्रतिवेदन में उठायी गयी आपत्तियों एवं परफार्मेंस बजट तैयार कर अवगत कराने के निदेश के साथ वित्तीय वर्ष 2008–09 के वास्तविक व्यय, वर्ष

2009–10 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2010–11 के आय–व्यय के अनुमान अनुमोदित करते हुए वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0–3: विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभागों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु सम्पन्न हुई चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

परिषद द्वारा शैक्षिक विभागों में शैक्षिक पदों पर चयन हेतु सम्पन्न चयन समिति की संस्तुतियों को अनुमोदन से पूर्व सदस्य डॉ0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल द्वारा परिषद को यह अवगत कराया गया कि शिक्षाशास्त्र एवं अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत प्रोन्नति सम्बन्धी चयन समिति की संस्तुतियों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत न किये जाने से प्रोफेसर के पद धारकों की Intersee Seniority पर प्रभाव पड़ सकता है। अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में यू0जी0सी0 के कैरियर एडवांसमेंट योजना से प्रोन्नति सम्बन्धित दिशा–निर्देश/नियमों से अवगत कराया। पुनः डॉ0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि उ0प्र0 राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में भी सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति सम्बन्धी संस्तुतियाँ एक साथ कार्यपरिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रचलन है। जिस पर पुनः अध्यक्ष महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0 के दिशा–निर्देश का अनुपालन प्रत्येक दिशा में किया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों में यू0जी0सी0 से चयन समितियों हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाते हैं तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर यू0जी0सी0 की संस्तुति यदि एक माह के अन्तर्गत प्राप्त नहीं होती है तो चयन समिति की संस्तुतियों पर कार्यपरिषद विचार कर सकती है। अध्यक्ष महोदय ने परिषद को यह भी बताया कि प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों में पदनाम एवं वेतन आदि का लाभ पूर्वगामी अर्हता की तिथि से दिये जाने का प्राविधान है, अतएव डॉ0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल द्वारा Intersee Seniority प्रभावित होने का उल्लेख किया जाना पूर्णतयः भ्रामक एवं तथ्यों से विपरीत है। यू0जी0सी0 के दिशा–निर्देशों के क्रम में प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों में चूंकि अभी एक माह का समय व्यतीत नहीं हुआ है एवं न ही यू0जी0सी0 की रिपोर्ट प्राप्त हो सकी है। अतएव, चयन समिति की संस्तुतियों पर कार्यपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।

उपर्युक्त के दृष्टिगत कार्यपरिषद के कतिपय सदस्यों द्वारा प्रकरण में कुलपति महोदय को विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए (यदि आवश्यक समझा जाय) निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया जिस पर शेष सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस निर्णय के आलोक में

प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी चयन समिति की संस्तुतियों के साथ ही शेष संस्तुतियों पर भी अनुमोदन की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो सकी।

मद सं0–4: विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों एवं पूर्व से संचालित सम्बद्ध महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता से परिषद को संसूचित किया जाना। सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों/नवीन पाठ्यक्रमों की सूची परिषद के अवलोकनार्थ संलग्न है।

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों/नवीन पाठ्यक्रमों एवं पूर्व से संचालित सम्बद्ध महाविद्यालयों की सम्बद्धता से परिषद संसूचित हुई।

मद सं0–5: प्रभारी, पर्यावरण विज्ञान विभाग की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत प्रवक्ता डॉ0 जतिन कुमार श्रीवास्तव के विरूद्ध विभाग में अध्ययनरत छात्रों से प्राप्त शिकायती पत्रों की जांच हेतु प्रो0 एल0सी0 मिश्र, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की जांच–आख्या पर निर्णय लिये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा प्रो0 एल0सी0 मिश्रा, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग की अध्यक्षता में डॉ0 जतिन कुमार श्रीवास्तव के विरूद्ध गठित जांच समिति की रिपोर्ट को प्रथम दृष्टया प्राथमिक जांच रिपोर्ट मानते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आरोपी शिक्षक को चार्जशीट दिये जाने के लिए जांच अधिकारी नामित किया जाए। जिससे कि प्रकरण में आरोपी शिक्षक को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत जांच की जा सके तथा जांचोपरान्त जांच–आख्या परिषद के विचारार्थ समयबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाय। परिषद ने विभिन्न शैक्षणिक विभागों में समर ट्रेनिंग के नाम पर शिक्षकों द्वारा लिये जा रहे शुल्क के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया कि शुल्क का निर्धारण वित्त समिति द्वारा यदि किया जाता है तो ही समर ट्रेनिंग के नाम पर शुल्क लिया जाय तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जाये, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमिततायें शैक्षिक विभागों के स्तर पर न की जा सके।

मद सं0–6: श्री मिथिलेश कुमार दुबे, छात्र बी0टेक0 (एम0एस0ई0) अनुक्रमांक–28310 के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2009 द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में की गई शिकायत की जांच हेतु प्रो0 एल0सी0 मिश्र, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की जांच–आख्या पर निर्णय लिये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा प्रो0 एल0सी0 मिश्रा, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग की अध्यक्षता में श्री मिथिलेश कुमार दुबे, छात्र, बी0टेक0 (एम0एस0ई0) के शिकायती पत्र पर जांच हेतु गठित जांच समिति की रिपोर्ट के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि आरोपी छात्र को Show Cause Notice दिया जाय एवं प्राप्त उत्तर के आधार पर अनुशासनिक निर्णय लिया जाय।

मद सं0–7 (अनुपूरक कार्यसूची बिन्दु सं0--1) : उच्च शिक्षा अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–मं0उ0शि0–160/ सत्तर–1–2009–16(97)/09 दिनांक 04.02.2010 के अनुपालन में प्रवक्ताओं को वर्ष में अपने विषय के शोध पत्र प्रकाशित किये जाने के लिए विश्वविद्यालय की परिनियमावली में आवश्यक संशोधन किये जाने पर विचार।

परिषद ने उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 04.02.2010 द्वारा प्रवक्ताओं को वर्ष में अपने विषय के दो शोध पत्र प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में यथास्थान समावेशित किये जाने हेतु निर्णय लेते हुए यह भी निदेशित किया कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव अतिशीघ्र महामहिम कुलाधिपति/उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाय।

मद सं0–8 (अनुपूरक कार्यसूची बिन्दु सं0–2) : विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान किये जाने पर विचार।

परिषद ने विस्तृत विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन से नकदीकरण की अनुमन्यता के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाय।

मद सं0–9 (अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) मद सं0–(i): विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्थानों/विभागों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले अवकाश के सम्बन्ध में विचार।

परिषद ने इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले अवकाश के सम्बन्ध में पृथक से समिति का गठन करते हुए समिति की आख्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए परिषद की बैठक समाप्त हुई।

(हर्ष कुमार सहगल)
कुलपति/अध्यक्ष

08/03/10
(महेश चन्द्र)
कुलसचिव/सचिव